

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 6/5/2020..
क्रमांक 1823 /उपां/टीसी/49/201 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्र०	ग्राम	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	बिजलपुर	878 / 1	10.513 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		878 / 2			
		919 / 1 / 2			
		919 / 2			
		921 / 1, (भाग)			
		888,			
		877 / 2,			
		877 / 1,			
		887 / 1 / 1,			
		887 / 2,			
		920			


Up

5-May-20

	बिजलपुर	921/3/1	2.026 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		921/3/2			
		921/3/3			
		921/3/4			
		921/3/5			
		922/2,			
	पिपल्याराव	213/1	1.783 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
		213/2			
		कुल क्षेत्रफल	14.322 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्योरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर म.प्र. को एवं ई-मेल आईडी - obj-sugg-indore@mp.gov.in पर ई-मेल आईडी दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।


संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
MPT0प्र0 भोपाल